अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (मनोचिकित्सक), उपाचार्य (मनोचिकित्सक) और आचार्य (मनोचिकित्सक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (मनोचिकित्सक), उपाचार्य (मनोचिकित्सक) और आचार्य (मनोचिकित्सक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबंध की अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती को पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती को पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.---वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेत्रसाम	योग्यता के	Tilet or if from	7 - 7.	1 1 1 1 1
14, 40, 114	पंश का संख्या	वगाकरण	वेतनमान	याग्यता क आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वा के लिए आयु सीमा	ल व्याक्तया	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
. आचार्य (मनो चिकित्सक)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18600-500 22100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	- लागू नहीं होता		लए केन्द्रीय ए गए अनु- नुसार 5 वर्ष कती है । अवधारित कतारीख से आवेदन यत की गई । (न की नो असम, नागालैंड, मू-कश्मीर , हिमाचल स्वीति जिले गी उपखंड, र द्वीप या	हा
गिधे भर्ती किए गौर अन्य अर्हत		गों के लिए अपेक्षित		लिए विहित आर्	जाने वाले व्यक्तियों के 1 और शैक्षिक अर्हताएं की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कं हो	ो अवधि, य <mark>दि कोई</mark> ,
()	8)		-		(9)		(10)
1956 का 10 वेश्वविद्यालय य जिस्टर या भार वाहिए । 2) किसी मा मनोचिकित्सक) मेडीसन) साईक 3) स्नातकोत्तर का अनुभव जि आयुर्विज्ञान मह आचार्य के रूप टेप्पण 1 : अ तंघ लोक सेवा 3	2) की अनुसूची 11 समतुल्य अर्हता तीय आयुर्विज्ञान 1न्यताप्राप्त विश्व 1)/एम. डी. (साईक 1)/एम. डी. (साईक 1)/एम. डी. (साईक 1)/एम. डी. (साईक 1)/एम. डी. (साईक 1)/एम. डी. 1)/एम. डी. 1)/हर्ड	ान परिषद् अधिनियम में सम्मिलित कोई और किसी राज्य अ रजिस्टर में रजिस्ट्रीव विद्यालय/संस्था से जेलोजीकल मेडीसन । डिप्लोमा सहित या ने के पश्चात् वृत्ति म अनुभव किसी मा संस्था में उपाचार्य गर्हित अभ्यर्थियों की नार शिथिल की जा स् ा (अर्हताएं) संघ ल	एक मूल ायुर्विज्ञान कृत होना एम.डी.)/एम.डी. समतुल्य । में 10 वर्ष न्यताप्राप्त न्यताप्राप्त दशा में तकती हैं ।		ायु : नहीं ह अर्हताएं : हॉ		केए जाने वाले लिए एक वर्ष ।

जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं । वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो ।

(8)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा आमेलन किया जाएगा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता (11)(12)प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प-प्रोन्गति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिंक संविदा भी है : कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान पर सीधी भर्ती द्वारा । संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (2) जिन्होंने 16400—20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है: और (ख) जिनके पास स्तभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। 2. उपाचार्य (मनोचिकित्सक) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
 (13) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	(14) प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
चंडीगढ़ प्रशासन	

r)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपाचार्य (मनो- चिकित्सक)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	16350-450- 18600-500 20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	नहीं

आवश्यकः (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(8)

(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (मनोचिकित्सक)/एम. डी. (साईकोलोजीकल मेडीसन)/एम. डी. (मेडीसन) साईकोलोजीकल मेडीसन डिप्लोमा सहित या समतुल्य ।

(3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसौर शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।

आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां

(9)

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

1	6
1	0

(9)

जा सकता है।

वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो ।

(11)	(12)
<mark>प्रोन्नति⁄प्रतिनियुक्ति</mark> (जिसके अंतर्गत अल्प– कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—
	(क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या
	(2) जिन्होंने 14300—18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और
	(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं ।
	2. ज्येष्ठ प्राध्यापक (मनोचिकित्सक) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यवि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति प नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके
	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

	(13)				(14)	
पुष्टि के संबंध प्रोन्नति समिति		ने के लिए समूह	'क' विभागीय		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेव करना आवश्यक है ।	। आयोग से परामर्श
2. सचिव, आर्	चंडीगढ़, प्रशासन युर्विज्ञान शिक्षा और	अनुसंधान,	—अध्यक्ष	T		
चंडीगढ़ प्रश् 3. प्रधानाचार्य,		न महाविद्यालय औ	—सदस्य र	t ·		
अस्पताल, न 4. संबंधित विध	चंडीगढ़ भाग का आचार्य अँ		—सदस्य		्र स्वास्त्र स्वान्त्रीय स्वान	
					The second second second second	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ज्येष्ठ प्राध्यापक (मनो– चिकित्सक)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	14,300-400- 15,900-450 18,150 रु. और प्रैक्टिस	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं । सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष	नहीं

तक शिथिल की जा सकती है।

बंदी भत्ता।

(6)

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश. मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड. अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
आवश्यकः (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल		
विश्वघिद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।		
(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (मनोचिकित्सक)/एम. डी. (साईकोलोजीकल मेडीसन)/एम.डी. (मेडीसन) साईकोलोजीकल मेडीसन डिप्लोमा सहित या समतुल्य।		
(3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
(13)	(14)

4217 H&FW/09-5

3 वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए

	(13)		
1.	गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन		
2.	सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान,		
	चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य	
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और		
	अस्पताल, चंडीगढ़	सदस्य	
4.	संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष,		
	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ	सदस्य	

[सं. वी.-24011/11/2002-एमई-II] वलसम्मा के. डेनियल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2009

G.S.R. 163 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Psychiatry), Reader (Psychiatry) and Senior Lecturer (Psychiatry) in the Government Medical College & Hospital, Chandigarh, namely:

1. Short title and Commencement .-- (i) These rules may be called the Government Medical College & Hospital, Chandigarh, Professor (Psychiatry), Reader (Psychiatry) and Senior Lecturer (Psychiatry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2009.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in Column No. (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.-The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule. 5. Disgualification : No persons :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. SCHEDLI F

		the second second second	service and the service and the service of the serv	TEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection- cum- seniority or Non-selec- tion post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible ssible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Professor (Psy- chiatry)	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload	Central	Rs. 18,600-500- 22,100/- plus Non-practicing Allowance	applicable	Not exceeding fifty years's. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instruc- tions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications	Yes

from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur. Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Sipiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational P qualifications prescribed for in direct recruits will apply in the case of promotees (9)

Educational Qualifications : Yes

Age: No

Period of probation, if any

(10)

One year for direct

recruits.

Essential :

(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;

(8)

(ii) M.D. (Psychiatry)/M.D. (Psychological Medicine)/
M.D. (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine from a recognized University/Institution or equivalent;
(iii) Ten years' experience in the profession after acquiring postgraduate-qualification, out of which four years' should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Promotion/deputation (including short	Promotion/Deputation (including short-term contract)
term contract) failing which by direct	I. Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodics
recruitment.	Autonomous Organizations/Research Institutions :
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or
	(ii) with two years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000, or equivalent: and
	(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).
	II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Psychiatry) with two years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and i case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed t have been filled by promotion.
	The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in anothe ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or som other organization/department of the Central Government, shall ordinarily no exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing dat of the receipt of applications).

					Commission is to be consu recruitment	lted in making	
		(13)			(14)		
Group 'A' I Confirmati		Promotion Com	mittee (for conside	ring	Consultation with Union Pub Commission is necessary on		
1. Home Secretary, Chandigarh Administration				Chairma			
Chandig	arh Administr , Government l	ucation and Res ation Medical College		Membe		n an garagan ang dari nag Seng Eulari Augus ang dari d	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. Reader (Psy- chiatry)	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16,350-450- 18,600-500- 20,100 plus Non-practicing Allowance	Not applicable	Not exceeding fifty years's. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instruc- tions or orders issued by the Central Government).	Yes	

(6)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(8) (9) (10)**Essential**: Age: No One year for direct

(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;

(ii) M.D. (Psychiatry)/M.D. (Psychological Medicine)/ M.D. (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine from a recognized University/Institution or equivalent;

(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

4217 H& FW009-6

Educational Qualifications : Yes

recruits

(11)

Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Promotion/Deputation (including short-term contract)

I. Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/

Autonomous Organizations/Research Institutions :---

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent: and

(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Psychiatry) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt of applications).

(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideri Confirmation):	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.	
1. Home Secretary, Chandigarh Administration	—Chairman	
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration	Member	
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh	Member	
4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh	Member	and the single state of the design of the second
	 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considerin Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh 4. Professor and Head of the concerned Department of 	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior Lecturer (Psy- chiatry)	3* (2009) *Subject to variation dependent on workload		Rs. 14,300-400- 15,900-450 18,150/- plus Non-practicing Allowance al	Not applicable	Not exceeding fifty years's (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruc- tions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	No

(12)

(6)
· Arunachal Pradesh,
Mizoram, Manipur,
Nagaland, Tripura, Sikkim,
Ladakh Division of Jammu
and Kashmir State, Lahaul
and Sipiti district and pangi
sub-division of Chamba
district of Himachal
Pradesh, Andaman and
Nicobar Islands or
Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Essential :	Not applicable	One year
(i) A basic University or equivalent qualification inclu-		

ded in anyone of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) M.D. (Psychiatry)/M.D. (Psychological Medicine)/ M.D. (Medicine) with Diploma in Pscychological Medicine from a recognized University/Institution or equivalent;

(iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)	()	(12)			
Direct recruitment	Direct recruitment Not a				
		(14)			
(13)	2	(14)			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consider Confirmation):		Consultation with Union Public Service Commission is necessary.			
 Home Secretary, Chandigarh Administration Secretary, Medical Education and Research. 	Chairman				
Chandigarh Administration 3. Principal, Government Medical College and Hospital,	Member				
 Chandigarh Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh 					

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II] VALSAMMA K. DANIEL, Under Secy.

MGIPRRND-4217 H&FW/09-100 Copies

[भाग II-खण्ड 3(i)]

4001.01 All भारत का राजपत्र : फरवरी 8, 2003/माघ 19, 1924

275

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा. का. नि. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीर र ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान जनमान जनम	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु- ज्ञेय है या नह
a data da	त्वा का का विक	同時時時	के संप्रत निपर	अचयन पद	persona and a state of the second state of the	
1	2	3 11 9 11	4 WHU	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	14300-400- 15900-450 18150 ₹.	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम ताारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप्रखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष- द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मही जीवन्द्र हिन्दु हो हिन्दु हो किन्दु है किन्दु है किन्दु है किन्दु है किन्दु है

的社会社会中在自由自动部

224 GI/2003-5

+ Sare

ीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	
3	Red get a	9	1.	e de la com	10
आवश्यक : I. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय एम.ए. (मनोवित्त समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पी.एच.डी. (रोग त ननोविज्ञान) और तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।		लागू नहीं व	15 - 00 - 17 - 1 - 140 - 1		एक वर्ष
या ख. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. फिल. (रोग मनोविज्ञान) और पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मानसिक विज्ञान या विज्ञान आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा और पांच वर्ष का वृत्तिक द टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ ले	मनो- अनुभव।				
आसोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिळ्ळा 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयं विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्य दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर के स्व अग्येप की यह पर है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भ	ग्रेग के धियों की संघ लोक गरने के लिए			a nito chai ch a inte inte an inte an	कर व्ययोग प्रभुत कर कर व्ययोग प्रभुत कर को भगभग है जन्म कर ज्यादिवनी की व्यक्त के
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थयां के पयाप्त स	ાહ્યા મ	11 - Ja n 485	ik ja e	1921-11	G-19-2-0
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थया क पयापा स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। 		प्रोन्नति/प	गतिनियक्ति	/आमेलन	ति हारा भर्ती की दशा में वे
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थया के पंथापों स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ		प्रोन्नति/प	गतिनियक्ति	।/आमेलन ति/प्रतिनि	the second second
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थया क पयापा स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		प्रोन्नति/प्र श्रेणियां f	प्रतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न	/आमेलन	ति हारा भर्ती की दशा में वे
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थया क पयाप्त स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प	प्रतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न	।/आमेलन ति/प्रतिनि	ति हारा भर्ती की दशा में वे
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थया के पंयाप्त स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 11		प्रोन्नति/प्र श्रेणियां f लागू नही	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न होता केन परिसि	।/आमेल - ति/प्रतिनि 12	ति हारा भर्ती की दशा में वे
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यांथया क पंयाप स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न ों होता केन परिसि जाएगा। 14	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यांथया क पंयाप स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	ामेलन	प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न हे होता केन परिसि जाएगा। 14 : पर संघ र	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में नोक सेवा	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से आयोग से परामर्श
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यांथया के पंयाप स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिग्रितता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. गृह सचिव, चंडीगढ, प्रशासन]मेलन अध्यक्ष	प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प्रत्येक अवसर	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न हे होता केन परिसि जाएगा। 14 : पर संघ र	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में नोक सेवा	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से आयोग से परामर्श
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थयों के पंथाप स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :]मेलन अध्यक्ष	प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प्रत्येक अवसर	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न हे होता केन परिसि जाएगा। 14 : पर संघ र	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में नोक सेवा	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से आयोग से परामर्श
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यांथया के पंयाप स उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिगतता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और]मेलन अध्यक्ष	प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प्रत्येक अवसर	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न हे होता केन परिसि जाएगा। 14 : पर संघ र	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में नोक सेवा	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से आयोग से परामर्श
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थयों के पंथापों से उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिगरतता 11 सीधी भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 2. सचिव, आयुर्विज्ञन शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	ामेलन — अध्यक्ष — सदस्य	प्रोन्नति/5 श्रेणियां f लागू नई भर्ती करने में f परामर्श किया प्रत्येक अवसर	गतिनियुक्ति जनसे प्रोन्न हे होता केन परिसि जाएगा। 14 : पर संघ र	ा/आमेलन ति/प्रतिनि 12 थतियों में नोक सेवा	त द्वारा भर्ती की दशा में वे युक्ति/आमेलन किया जाए संघ लोक सेवा आयोग से आयोग से परामर्श

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 2003

.--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer (Clinical Psychology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :----

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Gove-nment Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.-The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. Power to relax .--- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings .--- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		SCHEDULE		
Vame of post	Number of post		Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection-cum- seniority or Non-selection post
10000		3	4	5
1	2	General Central	Rs. 14300-400-	Not applicable
Senior Lecturer (Clinical Psychology)	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.		15900-450- 18150/-	ore 'A' Boparta mai Brognin "Sucreterer Coultination "Ores Scoresty.
	WORRDE			
Age limit for direct re	yea und Cir	nether benefit of added ars of service admissible der Rule 30 of the Central vil Services (Pension) ales, 1972	required for dire	l other qualifications eet recruits
	Ku	7	8	and a they will be presented
6 Not exceeding fifty y (Relaxable for Gover upto five year's in ac instructions or orders Central Government	cordance with the s issued by the	No	Univers	sychology) from a recognised ity or equivalent. Clinical Psychology) from a sed University/Institution with

SCHEDULE

[भाग II—खण्ड 3(i)]

EGOS7 vormation Standard 18

Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

three year's professional experience.

M. Phil. (Clinical Psychology) from a recognised University/Institution with five year's professional experience.

Two year's Diploma in Mental Science or Psychological Medicine from a recognised University/Institution with five years professional experience.

Note 1 :---Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :— The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion/ Method of recruitment, whether Whether age and educa-Period of deputation/absorption, grades from by direct recruitment or by promotional qualifications. probation, which promotion/deputation/absorption prescribed for direct if any tion or by deputation/absorption recruits will apply in and percentage of the posts to be to be made nos of personsering an filled by various methods the case of promotees 12 11 9 10 Not applicable One year Direct recruitment Not applicable Circumstances in which Union Public Service If a Departmental Promotion Committee exists, what is Commission to be consulted in making its composition recruitment

13 0200000 -004-00141 get	enios Lociturer 01* (2001) 11 Central Central
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
1. Home Secretary, Chandigarh Administration	-Chairman
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration.	Member
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarla	Member
4. Professor and Head of the Concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh	—Member

[F. No. V.24011/12/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

6

[भाग II - खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : सितम्बर 11, 2004/भाद्र 20, 1926

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 304.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 58, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 304.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 58, dated the 22nd January, 2003.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 305.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह–जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]-

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 59, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2638 912/04-4.

1825